न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–473/2020 (जीसीएमएस नं. 2020/00380)

1. भॅवरलाल,
2 हनुमान पुत्रान झूॅथाराम, समस्त जाति जाट, निवासीयान चूल्हा की ढाणी, पचार रोड़, रेनवाल तहसील रेनवाल, जिला जयपुर राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।
2. माफी मंदिर श्री गोपाल जी रेनवाल जरिये पुजारी,

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–
1. श्री सुरेश चाहर, एडवोकेट अपीलार्थीगण की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 28.02.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक. जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2016 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम रेनवाल तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर जागीरदारी के समय से जागीर गांव था तथा राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने पर खसरा नम्बर 160 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा धारा 9 के तहत खसरा नम्बर 160 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा भूमि नानगा व खंगा वल्द निर्भय 2/3 हिस्सा, जमना वल्द नवला 1/3 हिस्सा जाति अहीर के नाम खातेदारी दर्ज की गई जिसका स्पष्ट उल्लेख भू–प्रबन्ध विभाग की खतौनी बन्दोबस्त 2011 से 2019 के कॉलम संख्या 5 में स्पष्ट अंकित है तथा जमाबन्दी जो कि कृषकों का राईट ऑफ रिकार्ड सम्वत् 2011 से 2029 में खसरा नम्बर 160 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा भूमि नानगा व खंगा वल्द निर्भय 3/3 हिस्सा, जमना वल्द नवला 1/3 जाति अहीर के खातेदारी काश्तकार दर्ज है इस प्रकार इन्हे अनुवांशिक एवं पूर्ण अन्तकरण के कानूनी अधिकार प्राप्त थे जिन्हे बिना सुनवाई एवं बिना विधिक प्रक्रिया के विलोपन नही किया जा सकता। उपरोक्त खातेदार कृषकों/वारिसान ने भूमि नानगा व खांगा वल्द निर्भय, जमना वल्द नवला, जाति अहीर का फौती नामान्तरकरण के आधार पर अपीलार्थीगण के नाम नामान्तरकरण खोला गया जिसका नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के नाम खुलकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका था तब से अपीलार्थीगण खातेदार कातश्तकार के रूप में दर्ज है तथा निरन्तर काबिज काश्त है जिनका इन्द्राज खाता संख्या 290, 291, 292 व खसरा

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

परिवर्तन होकर खसरा नम्बर 160 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा का बैचान अपीलार्थीगण के नाम नामान्तरकरण खोला गया जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है तब से अपीलार्थीगण खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है तथा निरन्तर काबिज काश्त है तथा खाता संख्या 338 जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 2062 में अपीलार्थीगण बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण की बिना सुनवाई एवं बिना विधिक आदेश के खसरा नम्बर 160 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा का दिनांक 02.08.2004 को नामान्तरकरण संख्या 2574 से राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 का हवाला देकर मंदिर माफी श्री गोपालजी के नाम अंकन कर दिया जबकि यह भूमि कभी भी माफी मंदिर श्री गोपाल के कब्जे व खुदकाश्त में नही रही है, केवल लिपिकीय भूल से खातेदार माफी मंदिर श्री गोपाल के नाम दर्ज कर दी गई जिसका दुरूस्त किया जाना आवश्यक होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दीपा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 1995 (1) एस.सी.सी.612 में जागीर की भूमि पर कृषक जिनका नाम खसरा गिरदावरी में अंकित था को उपकृषक मानकर जागीर अधिनियम की धारा 9 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत खातेदार काश्तकार माना, धारा 9 जागीर अधिनियम के अनुसार उसके अधिकार हैरीटेवल व ट्रंसफरवल होना मानते हुये जागीर की भूमि पर काश्त करने वाले को भूमि वादग्रस्त का खातेदार काश्तकार माना है। उन्होन आगे कथन किया है कि धारा 10 जागीर अधिनियम 1952 का मुख्य आधार जागीर पुर्नग्रहण के वक्त दिनांक 01.07.1963 को भूमि जागरीदार/माफीदार की खुदकाश्त होना परम आवश्यक है तथा अपीलान्ट ने भू प्रबन्ध विभाग की खतौनी बन्दोबस्त 2011 से 2019 के कॉलम संख्या 5 में व जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 2062 व 2067 से 2070 जागीर रिजम्पशन के दिन भूमि वादग्रस्त पर कब्जा स्पष्ट करने के लिये पेश की जिसमे अपीलान्ट का नाम कॉलम संख्या 5 में दर्ज है उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.05.2016 खारिज किया जाकर अपीलान्ट की खातेदारी में आराजी खसरा नम्बर 160 रकबा 16 16 बिस्वा के नाम दर्ज किये जाने के आदश प्रदान किये जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि माफी मंदिर की भूमि रही है तथा मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिंग होने कारण उसकी भूमि की खातेदारी किसी व्यक्ति को प्राप्त नही हो सकती है तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि का कोई लगान सन्

संभागीय आयुक्त
जयपुर

2004 से जमा नही करवाया गया है क्योंकि वे वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार नही रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2018 में कोई विधिक त्रुटि नही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों इत्यादि का अवलोकन किया किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2011 से 2029 की प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 160 माफी मंदिर श्री गोपाल जी के नाम अंकित है एवं कृषक के खाना नम्बर पॉच में नानगा व खांगा पि. निर्भय हिस्सा 2/3 व जमना वल्द नवला हिस्सा 1/3 काश्तकार के रूप में दर्ज रिकार्ड है इससे स्पष्ट कि उक्त वादग्रस्त भूमि मंदिर की खुदकाश्त की भूमि नही थी बल्कि नानगा, खांगा व जमना की काश्तकारी की भूमि थी तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 जो तारा वगैरह बनाम राजस्थान सरकार वगैरह की विभिन्न याचिकाओं को निस्तारित करते हुए पारित किया गया है, में स्पष्ट निणर्य दिया गया है कि मंदिर या डोली को भूमि के रूप मे प्रदत्त जागीर की भूमि जिसमें मंदिर खुदकाश्त नही है तथा भूमि पुजारी अथवा सेवायत से भिन्न किसी व्यक्ति की काश्तकारी की भूमि है तथा वह व्यक्ति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रारम्भ के समय काश्तकार के रूप में दर्ज रिकार्ड है, वह खातेदार काश्तकार की श्रेणी में होंगे तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जायेंगें तथा राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 24.05.2007 जारी किया जिसमें में भी स्थिति को स्पष्ट किया गया है इसी प्रकार राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.11.2011 में भी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे मामलों में यदि भूमि मंदिर की खातेदारी में दर्ज कर दी गई है तो उसे लिपिकीय त्रुटी माना जाकर दुरूस्त की जाऐ जिससे स्पष्ट है माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 24.05.2007 व 25.11.2011 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि जो नानगा, खांगा व जमना की खातेदारी में थी तथा उसके बाद क्रय किये जाने पर अपीलार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रही है उसे उप तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा बिना किसी विधिक प्रावधान के एवं बिना किसी रेफरेन्स के माफी मंदिर श्री गोपालजी की खातेदारी में जरिये नामान्तररण संख्या 2576 दर्ज किया गया है, उक्त नामान्तरकरण परिपत्र क्रमांक प. 12(22)देव/91/दिनांक 06.03.2003 के आधार पर स्वीकृत किया गया है जबकि उक्त परिपत्र में खातेदारी विलोपित करने को कोई निर्देश प्रदान नही किया गया है। ऐसे में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर वादग्रस्त नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही शुन्य अवैध था तथा उक्त अवैध आदेश को चुनौती दिये जाने पर मियाद का बिन्दु कोई बाधक नही है, वादग्रस्त नामान्तरकरण बिना किसी सक्षम आदेश के तथा विधिविरूद्ध स्वीकार किया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए पीड़ित पक्षकार को सुनवाई का

संभागीय आयुक्त
जयपुर

समुचित अवसर दिये बिना उक्त नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है जो उचित प्रतीत नही होता है किन्तु उक्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2016 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलााधीन आदेश दिनांक 25.05.2016 एवं नामान्तरकरण संख्या 2576 वाके ग्राम रेनवाल पर उप तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 को निरस्त किया जाकर पूर्व प्रविष्टियों को यथावत बहाल रखा जाता है। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।